Phone no. 02932-220440

Email : deo.pali.dse@rajasthan.gov.in
deosecpali.estb@gmail.com

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

–:: कार्यालय आदश ::–

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/शा.शिक्षक ग्रेड III/सी.भ./बी–1/ 2017–18/ दिनांक 29.11.2019 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने फलस्वरूप पृष्ठांकित अभ्यर्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार लेवल 10 में प्रोबेशनरी ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रूपये 23700/– (पूर्व में सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/ दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने के पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें। इनके अभाव में किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ7(1) डीओपी/ ए.II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने सम्बन्धित आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू. 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का रू. 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
4. आवेदक का दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावें।
5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्था प्रधान अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण पुन इस कार्यालय को भिजवाया जावें।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महगांई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महगांई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस इत्यादि देय नहीं होगा।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12 (9)एफडी (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
10. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12 (9)एफडी (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदायी की कटौती नियमानुसार होगी।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पर चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह अभ्यर्थी ही कार्यग्रहण करें जिसका आवेदन पत्र पर छायाचित्र (फोटो) चस्पा है।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटिपूर्ण/जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधि कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।

Phone no. 02932-220440

Email : deo.pali.dse@rajasthan.gov.in
deosecpali.estb@gmail.com

13. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के अन्तर्गत दी जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर / जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257 / 2018, 15078 / 2019 एवं 17309 / 2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन रहेगी।
14. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करें।
15. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक / क–2 / 06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
16. राज्य से बाहर शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता धारी अभ्यर्थी के दस्तावेज कि जॉच के पश्चात नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे है।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **19.02.2020** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

(जगदीश चन्द्र राठौड़)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली

क्रमांक जिशिअ / मुमा / पाली / संस्था–1 / शा.प्र.अनु.ग्रेड–III / नियुक्ति–2018 / 2019–20 / 616 दिनांक 04.02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर।
5. निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पाली।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक पाली।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला पाली।
10. सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य को देकर लेख है कि कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी का जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक पाली कार्यालय से शाला दर्पण पर मेपिंग कराकर ऑनलाईन कार्यग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. सम्बन्धित संस्था प्रधान।
12. शाखा अवधायक शाला दर्पण को वास्ते आदेश ऑनलाईन प्रसारित करने हेतु।
13. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
14. रक्षित पत्रावली।
15. नोटिस बोर्ड।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

क्रमांक जिशिअ / मुमा / पाली / संस्था–1 / शा.प्र.अनु.ग्रेड–III / नियुक्ति–2018 / 2019–20 / 616 दिनांक :– 04.02.2020

क्रसं.	चयन वर्ग	मेरिट नं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	PHOTO
22	GEN	1851	PARBHA	MEHAR CHAND	A -310 SARSWATI NAGAR BASANI PRATHAM - JODHPUR PINCODE 342005 DIST.JODHPUR	02-Apr-91	G.U.P.S., BUDHWARA(08201703901)	PALI	
39	OBC	2270	SUBHITA	ANAND SINGH	V/P LALAS TEHSIL NAWA WAYA KUCHAMAN CITY LALAS PINCODE 341509 DIST NAGAUR	01-Jul-86	G.U.P.S., DHOLIYA(08200205603)	RAIPUR	
111	OBC	1347	SAT PAL	MALLU RAM	CHAK 1 LKD VPO. - GOPLIYAN TEH. - LUNKARANSAR GOPLIYAN PINCODE 334603 DIST.BIKANER	15-Mar-80	GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL, BADGANWADA, SUMERPUR (08200800901)SUMERPUR)	SUMER PUR	

(जगदीश चन्द्र राठौड़)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली